DIRECTORATE OF PROHIBITION
DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI
Pandit Ravi Shanker Shukla Lane: K.G.Marg: New Delhi-110001
Ph. 23385616, 23384828

NOTICE

INVITING APPLICATIONS FOR GRANT-IN-AID TO NGOs & VOLUNTARY ORGANIZATIONS

Applications for the year 2019-20 from eligible NGOs & voluntary organizations are invited for the following scheme for Assistance of Grant-in-Aid of the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India which are processed by the Directorate of Prohibition, GNCT of Delhi. Details of scheme, instructions and procedure are also available on departmental website i.e. www.wcddel.in.

1. Scheme for Assistance for Prevention of Alcoholism and Substance(Drug) Abuse and for social defence services with following components :-

a. Awareness and preventive Education
b. Drug Awareness and counseling center.
c. Integrated Rehabilitation Centre for Addicts (IRCA)
d. Workplace prevention programme (WPP)
e. De-addiction camps
f. NGO forum for drug abuse prevention
g. Innovative Intervention of strengthen community based rehabilitation.
h. Technical Exchange and Manpower development
i. Surveys, Studies, Evaluation and Research on the subject covered under the scheme

Last date for submission of application is 08/08/2019 upto 5.00 P.M. for submission of hard copies to Directorate of Prohibition, Department of Women and Child Development, GNCTD and for uploading of soft copy on Ministry of Social Justice and Empowerment Govt. of India website (ngograntsje.gov.in)

Eligible applicant NGOs & Voluntary Organizations should submit hard copy of their submitted on-line application, complete in all respect with a covering letter giving index of all Annexures alongwith page numbers only at the above mentioned address. In case change of address the same shall be displayed on the Department website i.e. www.wcddel.in.

Director
Prohibition
5/7/2019

मद्य-निषेध निदेशालय
महिला बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार
पंडित रवि शंकर शुक्ल लेनः केजी मार्गः नई दिल्ली- 110 002
फ़ोन न. 23385616, 23384828

सूचना

गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों हेतु अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलाय, भारत सरकार की निम्नलिखित अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों से वर्ष 2019-20 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं| अनुदान योजनाओं के नाम व उनके घटकों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है| योजना, अनुदेश एवं प्रक्रिया का विवरण विभागीय वैबसाइट www. www.wcddel.in पर उपलब्ध है -:

1. मद्यपान एवम नशीली दवा दुरूपयोग निवारण योजना (ड्रग्स)

मद्यपान एवम नशीली दवा दुरूपयोग निवारण योजना (ड्रग्स) कार्यकर्म के घटक निम्नलिखित है:-

क. व्यवसानिओ के लिए समेकित पुनर्वास केंद्र (IRCA)

ख. कार्यस्थल पर मद्यपान एवं मादक द्रव्य दुरूपयोग निवारण योजना (ड्रग्स) क्रार्यक्रम

ग. क्षेत्रीय संसाधन एवं प्राक्षिण केंद्र (RRTC)

घ. जागरूकता सह नशामुक्ति कैंप (A.C.D.C)

ङ. तकनीकी आदान प्रदान ओर व्यक्ति विकास क्रार्यक्रम

च. मादक दर्व्य पदार्थ दुरूपयोग निवारण हेतु गैर-सरकारी संगठन के फोरम

छ. मीडिया के प्रचार के माध्यम से निवारात्मक शिक्षा और जागरूकता सृजन

ज. समुदाय आधारित पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए नवाचार हस्तक्षेप

झ. योजना के अंतर्गत कवर किये गए विषयो पर सर्वेक्षण, अध्ययन, मूल्यांकन और अनुसंधान।

पात्र आवेदक गैर सरकारी संगठनों एवं स्वैच्छिक संगठनों को पृष्ठ संख्या के साथ सभी अनुलग्नक का इंडेक्स दर्शाते हुए कवरिंग लेटर सहित सभी प्रकार से परिपूर्ण अपना ऑनलाइन आवेदन जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की वैबसाइट पर अपलोड किया गया है , उसकी दो हार्ड कॉपी सभी प्रतिलिपियों सहित उपरोक्त पते पर दिनांक 08.08.2019 साँय 05: 00बजे तक जमा कराना है। इसी बीच निदेशालय के पत्ते में यदि कोई परिवर्तन होता है तो यह वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा।

निदेशक (मद्य-निषेध)